उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-26/2022/सा-3-624/दस-2022/308(9)/2000टी.सी.
लखनऊः दिनॉक: 31 अक्टूबर, 2022
कार्यालय-ज्ञाप

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-Book(C)/Pension Apportionment/14490 दिनांक 18-06-2021 एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-AC&D/ Apportionment-Pension/2020-21/647 दिनांक 08-12-2020 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अवधि के लिये रू0 1659.46 करोड़ (रूपये एक हजार छः सौ उनसठ करोड़ छियालिस लाख मात्र) की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आकलित की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अगस्त, 2022 में रू0 259.46 करोड़ एवं माह सितम्बर, में रू0 200.00 करोड़ का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को किया जा चुका है। तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 में तदर्थ रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस किश्त को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखण्ड सरकार को भुगतानित धनराशि का प्रगामी योग रू0 659.46 करोड़ हो जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अधीन लेखाशीर्षक ''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01- सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' के नामे डाला जायेगा।

कुँवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

कुँवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।